# न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
## पीठासीन अधिकारी : मानाराम पटेल आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 77/2017

| अपीलाण्ट्स | बनाम | रेस्पोन्डेन्ट |
|---|---|---|
| श्रीमती मंजुकंवर पत्नी गोविन्दसिह जाति राजपूत निवासी झणकली तहसील शिव जिला बाडमेर | | 1— अर्जुनसिह पुत्र पदमसिह जाति राजपूत निवासी मारूडी, तहसील व जिला बाडमेर<br>2— मखणा पुत्र उस्मान खां<br>3— कला पुत्र उस्मान खां<br>4— चिना पुत्र उस्मान खां<br>5— आलम पुत्र उस्मान खां जातियान मुसलमान निवासीगण झणकली, तहसील शिव जिला बाडमेर<br>6— ग्राम पंचायत झणकली जरिये सरपंच तहसील शिव, जिला बाडमेर |

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 8—6—2016 जो अपील संख्या 5/2013 मे उपखण्ड अधिकारी शिव द्वारा केम्प झणकली मे पारित कर विरासत का नामांतरकरण संख्या 167 निरस्त किया गया ।

राजस्व अपील संख्या 85/2017

| अपीलाण्ट्स | बनाम | रेस्पोन्डेन्ट |
|---|---|---|
| श्रीमती मंजुकंवर पत्नी गोविन्दसिह जाति राजपूत निवासी झणकली तहसील शिव जिला बाडमेर | | 1— अर्जुनसिह पुत्र पदमसिह जाति राजपूत निवासी मारूडी, तहसील व जिला बाडमेर<br>2— मखणा पुत्र उस्मान खां<br>3— कला पुत्र उस्मान खां<br>4— चिना पुत्र उस्मान खां<br>5— आलम पुत्र उस्मान खां जातियान मुसलमान निवासीगण झणकली, तहसील शिव जिला बाडमेर<br>6— ग्राम पंचायत झणकली जरिये सरपंच तहसील शिव, जिला बाडमेर |

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 8—6—2016 जो अपील संख्या 6/2013 मे उपखण्ड अधिकारी शिव द्वारा केम्प झणकली मे पारित कर विरासत का नामांतरकरण संख्या 663 को निरस्त किया गया ।

राजस्व अपील संख्या 78/2017

| अपीलाण्ट्स | बनाम | रेस्पोन्डेन्ट |
|---|---|---|
| श्रीमती मंजुकंवर पत्नी गोविन्दसिह जाति राजपूत निवासी झणकली तहसील शिव जिला बाडमेर | | 1— अर्जुनसिह पुत्र पदमसिह जाति राजपूत निवासी मारूडी, तहसील व जिला बाडमेर<br>2— मखणा पुत्र उस्मान खां<br>3— कला पुत्र उस्मान खां<br>4— चिना पुत्र उस्मान खां<br>5— आलम पुत्र उस्मान खां जातियान मुसलमान निवासीगण झणकली, तहसील शिव जिला बाडमेर<br>6— ग्राम पंचायत झणकली जरिये सरपंच तहसील शिव, बाडमेर |

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 8–6–2016 जो अपील संख्या 7/2013 मे उपखण्ड अधिकारी शिव द्वारा केम्प झणकली मे पारित कर पंजीबद्ध बेचान के आधार पर स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 177 को निरस्त किया गया ।

उपस्थितिः–

1–श्री सिद्धार्थ परिहार अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।

2–रेस्पो0गण बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

## निर्णय

दिनांक 22–10–2018

उक्त तीनो अपीलो मे एक समान पक्षकार होने तथा विवादित भूमि व विवाद विषयवस्तु एक समान होने से उक्त तीनो अपीलो मे एक सम्मलित निर्णय पारित किया जा रहा है । प्रत्येक अपील मे निर्णय की एक–एक मूल प्रति नत्थी की जावें ।

उक्त तीनो अपीलों का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम करणीनगर तहसील शिव स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 269 रकबा 122 बीघा 8 बिस्वा भूमि तथा ग्राम झणकली स्थित खसरा नंबर 31, 284, 286 व 428 के 1/5 हिस्से का सह खातेदार उस्मान पुत्र जुमा था । उक्त खातेदार उस्मान के फोत होने पर गांव करणीनगर तथा ग्राम झणकली तहसील शिव स्थित उक्त कृषि भूमियों के संबंध मे अलग अलग दो विरासत के नामांतरकरण संख्या 167 एवं 663 उसके वारिसान के नाम सरपंच ग्राम पंचायत झणकली द्वारा वर्ष 2010 मे स्वीकृत किये तथा ग्राम करणीनगर के खसरा नंबर 269 की भूमि मे से मृतक उस्मान के वारिसान द्वारा अपने खातेदारी के 1/5 हिस्से मे से 4/25 हिस्से की भूमि का बेचान वर्तमान अपीलार्थियां मंजुकंवर को पंजीबद्ध बेचान पत्र दिनांक 12–1–2011 से करने पर बेचान दस्तावेज के आधार पर अपीलांट के पक्ष मे नामांतरकरण संख्या 177 स्वीकृत किया गया । उक्त तीनो ही म्युटेशनों के विरूद्ध वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 अर्जुनसिह ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव के समक्ष तीन पृथक पृथक अपीलें वर्ष 2014 मे प्रस्तुत की, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने संयुक्त निर्णय दिनांक 8–6–2016 के द्वारा उक्त तीनो अपीलो को अंदर मयाद सुमार करते हुए विरासत के नामांतरकरण संख्या 167 ग्राम करणीनगर एवं ग्राम झणकली के नामांतरकरण संख्या 663 को तथा बेचान के आधार पर स्वीकृत नामांतरकरण 177 ग्राम करणीनगर को अपीलाधीन खसरो की सीमा तक निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार गडरारोड को वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 अर्जुनसिह द्वारा उस्मान से कय की गई ग्राम झणकली के खसरा नंबर 286 रकबा 24.07 बीघा एवं ग्राम करणीनगर के खसरा नंबर 269 रकबा 122.08 बीघा भूमि के 1/5 हिस्से की भूमि का नामांतरकरण उसके पक्ष मे पारित करने के आदेश पारित कर दिये । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त निर्णय की विरूद्ध अपीलांट ने उक्त तीनो अपीलें इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

वकील अपीलांट उपस्थित। रेस्पो0गण बावजुद तामिल के अनुपस्थित रहने पर

अपीलांट अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई । अपीलांठ अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 अर्जुन सिह ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्ष 2014 मे यह कथन करते हुए प्रथम अपीलें पेश की थी कि उसने अपीलाधीन भूमि के पूर्व खातेदार उस्मान से उसका हिस्सा वर्ष 2001 मे खरीद कर लिया था परंतु उसके नाम म्युटेशन स्वीकृत नही किया गया ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि तीनो अपीले अधीनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन थी जहां दोनो पक्षो की ओर से वकील मुकर्रर किये हुए थे तथा पैरवी कर रहे थे परंतु अचानक उक्त तीनो अपील पत्रावलियों को केम्प कोर्ट झणकली मे ले जाकर निर्णित कर दी जिसके बारे मे अपीलांट एवं उसके अधिवक्ता को कोई सूचना नही दी गई । वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश मे अपीलांट के अधिवक्ता की उपस्थिति भी दर्ज कर दी जबकि अपीलांट अधिवक्ता को कोर्ट केम्प मे उपस्थित होने का न तो कोई नोटिस दिया था और न ही वे केम्प मे उपस्थित हुए थे । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय बिना अपीलांट को सुने पारित किया होने तथा न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत पारित किया हुआ होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपीलें स्पष्ट तौर से मयाद बाहर थी तथा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे विलंब को माफ करने का कोई ठोस आधार नही होने से अपीलांट की अपील को मयाद के बिन्दु पर ही खारीज योग्य थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को अंदर मयाद सुमार करने मे विधिक भूल की है।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 अर्जुनसिह को उतराधिकार के आधार पर स्वीकृत हुए म्युटेशन संख्या 167 एवं 663 तथा पंजीबद्ध विक्रय विलेख के आधार पर स्वीकृत हुए म्युटेशनो के विरूद्ध अपील करने का कोई अधिकार नही था और न ही नामांतरकरण अपीलो के जरिये रेस्पो0 संख्या 1 को कोई अनुतोष प्राप्त हो सकता था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर किये बिना ही जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत नही होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 ने यह कथन करते हुए अधीनस्थ न्यायालय मे प्रथम अपीले पेश की कि उसने उक्त विवादित भूमि वर्ष 2001 मे खरीद की ली थी तो इतने लंबे अंतराल तक उसने म्युटेशन दर्ज क्यो नही करवाया जबकि वर्ष 2010 मे फोतदगी म्युटेशन स्वीकृत किये गये तथा बेचान का म्युटेशन अपीलांट के पक्ष मे वर्ष 2011 मे स्वीकृत हुआ, तब से अपीलाधीन भूमि पर अपीलांट का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तमाम तथ्यो पर गौर किये बिना ही पत्रावलियों को केम्प मे लेजाकर एकपक्षीय निर्णय पारित कर दिया । वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका की ओर ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि उक्त तीन अपीलो मे से एक अपील मे तो दिनांक 9–10–14 के बाद की कोई आदेशिका ही ड्रॉ की हुई नही है सीधे

ही दिनांक 8–6–16 को निर्णय पारित कर दिया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

अंत मे अपीलांट ने उक्त तीनो अपीलों को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 8–6–2016 को निरस्त करने का निवेदन किया तथा प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने हेतु रिमाण्ड करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0गण बावजुद तामिल के अनुपस्थित रहने से हमने अपीलांट अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों एवं अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 167 ग्राम करणीनगर, म्युटेशन संख्या 663 ग्राम झणकली तथा म्युटेशन संख्या 177 ग्राम करणीनगर आदि का अवलोकन किया । म्युटेशन संख्या 663 ग्राम करणीनगर तथा म्युटेशन संख्या 663 ग्राम झणकली जो मृतक खातेदार उरमान के फोत होने पर उसके उतराधिकारियो के नाम वर्ष 2010 मे स्वीकृत हुए थे अथार्त उक्त दोनो म्युटेशन उतराधिकार के आधार पर स्वीकृत हुए थे । इसी प्रकार म्युटेशन संख्या 177 ग्राम करणी नगर जो कि मृतक उस्मान के वारिसान द्वारा अपने हिस्से की 1/5 भूमि मे से 4/25वें हिस्से की भूमि का बेचान वर्तमान अपीलांट मंजुकंवर को पंजीबद्ध बेचान पत्र के जरिये करने पर पंजीबद्ध बेचान पत्र के आधार पर स्वीकृत हुआ था ।

अधीनस्थ न्यायालय ने वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 अर्जुन सिह द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपीलों मे रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा किये गये कथनो को सही मानकर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधि एवं रेकर्ड अनुसार समर्थन योग्य नही माना जा सकता है क्योकि रेस्पो0 संख्या 1 अर्जुनसिह ने अपीलाधीन भूमि के पूर्व खातेदार उस्मान से उसके हिस्से की भूमि वर्ष 2001 मे ही खरीद कर ली थी तो अपने पक्ष मे बेचान के आधार पर राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज क्यो नही करवाया ? जबकि पूर्व खातेदार उस्मान के फोत होने तक राजस्व रेकर्ड मे उस्मान का ही नाम दर्ज होने से उसके वारिसान के पक्ष मे फोतेदगी के उक्त 2 म्युटेशन वर्ष 2010 मे ही स्वीकृत हो चुके थे तथा उसके बाद रेकर्ड मे दर्ज मृत उस्मान के खातेदारान ने अपने हिस्से की भूमि का कुछ भाग वर्तमान अपीलांट मंजुकंवर को वर्ष 2011 मे बेचान कर दिया जाने पर पंजीबद्ध बेचान के आधार पर अपीलांट मंजुकंवर का नाम राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज हो चुका था तो अपीलाधीन तीनो म्युटेशनो के विरूद्ध रेस्पो0 संख्या 1 को अपील करने का कोई अधिकार नही था तथा अधीनस्थ न्यायालय को भी उतराधिकार एवं बेचान के आधार पर स्वीकृत हुए उक्त तीनो म्युटेशनो को बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये निरस्त करने का कोई अधिकार नही था ।

इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियो एवं उनकी आदेशिकाओं का अवलोकन करने पर यह प्रकट है अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली को केम्प मे ले जाने से पूर्व इसकी सूचना बाबत कोई नोटिस अपीलांट को जारी होना नही पाया जाता है जबकि अपीलाधीन निर्णय मे अपीलांट अधिवक्ता की उपस्थिति दर्ज करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय की उक्त तीन अपीलो मे से एक अपील संख्या 6/2013 मे तो आदेशिका दिनांक 9–10–14 के बाद कोई आदेशिका ही

ड्रॉ नही हुई, सीधी आदेशिका दिनांक 8–6–16 के जरिये निर्णय पारित कर दिया गया । इससे भी यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विधिक प्रकिया अपनाये ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत नही होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही है ।

अगर बेचानकर्ता का देहांत हो गया था तो रेस्पो0 सक्षम न्यायालय मे मृतक के उतराधिकारियो को पक्षकार बनाते हुए पूर्ण सुनवाई कर, दावा मे विधिवत निर्णय पारित करवा सकते थे । नामांतरकरण की अपीलो के जरिये फोतेदगी नामांतरकरण खारीज किये जाने तथा उस्मान के वारिसान द्वारा उनका हिस्सा अपीलांट के पक्ष मे बेचान किये जाने को बिना विस्तृत जांच किये तथा सुनवाई का अवसर दिये अधीनस्थ न्यायालय ने नामांतरकरण खारीज किये जाने का जो आदेश पारित किया है, वह उचित नही समझते है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त तीनो अपीले आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 8–6–2016 निरस्त कर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर अपीलाधीन भूमि के संबंध मे विरासत एवं पंजीबद्ध बेचान के आधार पर स्वीकृत अपीलाधीन तीनो म्युटेशनो के परिपेक्ष्य मे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 22–10–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

22/10/18

(मानाराम पटेल)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर